भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 262

दिनांक 22.7.2003/31 आषाढ़, 1925 (शक) को उत्तर के लिए

प्रश्न

राजभाषा के मानदण्ड

262. श्री राजो महतोः

क्या उप-प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि राजभाषा विभाग ने वर्ष 1987 में सरकारी प्रयोजनों हेतु पदों के सृजन, न्यूनतम पदों हेतु दिशानिर्देश, कार्य की गुणवता और हिन्दी टंककों/आशुलिपिकों के अनुपात संबंधी मानदण्ड तैयार किए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मंत्रालयों/संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों में कर्मचारियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए मानदण्डों की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो, समीक्षा के बाद नए मानदण्डों को कब तक निर्धारित किए जाने और क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्मिक, लोक शिकायत तथा
पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक)

(क): केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए न्यूनतम हिन्दी पदों के मानक सर्वप्रथम दिनांक 27.4.1981 को जारी किए गए थे । हिन्दी टंककों /आशुलिपिकों के अनुपात संबंधी अनुदंश दिनांक 23.3.1976 को जारी किए गए थे ।

(ख): जी हाँ । इनकी समीक्ष करके संशोधित मानक क्रमशः दिनांक 5.4.1989 और दिनांक 7.5.1997 को जारी किए गए हैं ।

(ग): एक विवरण संलग्न है ।

(घ): प्रश्न नहीं उठता ।

लोक सभा

दिनांक 22.7.2003 के अतारांकित प्रश्न सं. 262 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(I) न्यूनतम हिंदी पदों के सृजन के संशोधित मानकः

राजभाषा विभाग के दिनांक 5.4.89 के का.ज्ञा.सं. 13035/3/88-रा.भा. (ग) द्वारा जारीः-

1. मंत्रालयों/विभागों के लिएः

(i) प्रत्येक मंत्रालय तथा स्वतंत्र विभाग में, जिसका पूर्णकालिक सचिव हो, एक सहायक निदेशक (राजभाषा) ।

(ii) प्रत्येक ऐसे मंत्रालय या विभाग में जहां 100 या 100 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारी हैं, या जिसके अंतर्गत 4 या 4 से अधिक संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालय या उपक्रम ऐसे हैं, जिसमें हर एक में 100 या 100 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारी हैं, एक वरिष्ठ हिंदी अधिकारी अर्थात् उप निदेशक (राजभाषा) । राजभाषा विभाग के दि. 13.4.87 के का.ज्ञा.सं. 13017/1/81-रा.भा. (ग) में निर्धारित नार्मस को ध्यान में रखते हुए यह पद सहायक निदेशक के पद के बदले या उसके अतिरिक्त हो सकता है । मंत्रालय /विभाग में कार्य स्वरू और कार्य की मात्रा के आधार पर निदेशक का पद बनाया जा सकता है ।

(iii) 50 से कम अनुसचिवीय कर्मचारियों पर एक अनुवादक 50 से 100 अनुसचिवीय कर्मचारियों पर 2 अनुवादक, 101 से 150 अनुसचिवीय कर्मचारियों पर 3 अनुवादक, 151 या इससे अधिक अनुसचिवीय कर्मचारी होने पर 3 कनिष्ठ अनुवादक तथा 1 वरिष्ठ अनुवादक ।

2. संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिएः

(i) 100 या 100 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले प्रत्येक संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालय में एक हिंदी अधिकारी (सहायक निदेशक, राजभाषा) ।

(ii)(क) **'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए** (रक्षा सेनाओं और अर्द्ध सैनिक बलों के कार्यालयों को छोड़कर)

25 से 125 अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालय में एक कनिष्ठ अनुवादक ।
126 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिए दो कनिष्ठ अनुवादक ।

(ख) **'ख' तथा 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिएः**

(i) 25 से 75 तक अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालय में एक कनिष्ठ अनुवादक ।

76 से 125 अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालयों के लिए दो कनिष्ठ अनुवादक ।

126 से 175 अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालय के लिए 3 कनिष्ठ अनुवादक ।

175 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालय के लिए 3 कनिष्ठ अनुवादक तथा एक वरिष्ठ अनुवादक ।

(ii) रक्षा सेनाओं और अर्द्ध सैनिक बलों के ' क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों पर भी जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होते रहते हैं यही मानक लागू होंगे ।

(iii) ' ख' व ' ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसी सभी कार्यालयों में जहां कम से कम 25 अनुसचिवीय कर्मचारी हो, एक हिंदी टाइपिस्ट का पद दिया जाए । 'क' क्षेत्र में नए खोले जाने वाले कार्यालयों में भी यदि कम से कम 25 अनुसचिवीय कर्मचारी हों, तो एक हिंदी टाइपिस्ट पद दिया जाए । ' क' क्षेत्र में स्थित रक्षा सेनाओं और अर्द्ध सैनिक बलों के कार्यालयों, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होते रहते हैं, में भी वही मानक लागू होंगे ।

(II) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी टाइपिस्टों/आशुलिपिकों का अनुपातः

राजभाषा विभाग के दिनांक 7.5.1997 के का.ज्ञा.सं.14012/3/97-रा.भा. (नी.स.) द्वारा जारीः-

(क) 'क' क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में	90 प्रतिशत
(ख) 'ख' क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में	66 2/3 प्रतिशत
(ग) 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में	30 प्रतिशत